



जिरी नगरपालिका स्थानीय राजपत्र

जिरी नगर कार्यपालिकाबाट प्रकाशित

खण्ड: २ संख्या १ २०७५ साल असार २८ गते

भाग - १

जिरी नगरपालिका

सूचना २

आर्थिक ऐन, २०७५

नेपालको संविधानको धारा २२६ बमोजिम जिरी नगरपालिकाको नगरसभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानाकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

प्रस्तावना : जिरी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम नगर सभाले यो ऐन बनाई लागु गरेको छ ।

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति : २०७५।०३।१०

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :** (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि जिरी नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पत्ति कर :** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको भौतिक संरचनाहरूलाई एकीकृत रूपमा हिसाब गरी सम्पत्ति कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । तर गुठी जग्गामा सम्पत्ति कर लगाइने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाइने सम्पत्ति करको दर अनुसूची (१) मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । सम्बन्धित आ.ब.को सम्पत्तिकर पहिलो चौमासकभित्र बुझाएमा लाग्ने कर रकममा १० प्रतिशत छुट दिईनेछ ।

अघिल्लो आ.ब.को बक्यौता सम्पत्तिकर चालु आ.ब. को पहिलो चौमासकभित्र बुझाएमा १० प्रतिशत मात्र जरिवाना लगाई असुल गरिनेछ । त्यसभन्दा पछि बुझाएमा २० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । विगत आ.ब.हरूको कर रकममा वार्षिक २० प्रतिशतका दरले जरिवाना लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउँदा घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपयोग, अचल सम्पत्तिको उत्पादनशील उपयोगको अवस्था, नागरिकको जीवनस्तर, आर्थिकस्तर, कर तिर्न सक्ने क्षमता, अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजारमूल्य तथा ह्रासमूल्य समेतलाई विचार गरी कार्यपालिकाले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

३. **भूमि कर (मालपोत) :** नगरपालिका क्षेत्रभित्र बक्यौता भूमि कर (मालपोत) मा वार्षिक २० प्रतिशतको हिसावले जरिवाना लगाई असूल उपर गरिनेछ । सम्पत्तिकर लागू भएको वर्षदेखिको बक्यौता रकममा दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम हुनेछ ।

तर दफा २ बमोजिम सम्पत्ति कर लगाएको जग्गामा भूमीकर (मालपोत) लगाइने छैन ।

४. **घर जग्गा बहाल कर:** (१)नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा वार्षिक बहाल रकममा बहाल कर लगाइ असुल गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने घरजग्गा बहाल करको दर अनुसूची (२) मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम लगाईने बहाल रकम निर्धारण गर्नको लागि नगरपालिकाले घरजग्गा रहेको स्थान तथा संरचनाको प्रकारको आधारमा न्यूनतम बहाल मूल्य तोकी सोही आधारमा बहाल रकम निर्धारण गरी कर लिन सक्नेछ ।

५. **व्यवसाय कर:** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय दर्ता गरी व्यवसाय इजाजत प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरूले वार्षिक रुपमा व्यवसाय कर चुक्ता गरी व्यवसाय नविकरण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिने व्यवसाय दर्ता दस्तुर तथा नविकरण दस्तुरको दर व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न लाग्ने लगानीको आधारमा अनुसूची (३) मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको इजाजत विना नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै पनि व्यापार, व्यवसाय तथा सेवा संचालन गर्न पाईने छैन ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम लिइने व्यवसाय करको दर अनुसूची (४) मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(६) यस दफा बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागु गर्न सक्नेछ ।

६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरे वापत अनसूची (५) बमोजिम जडिबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तुकर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि कारोवार भन्नाले विक्रेताले जारी गरेको विल वा वीजक वा लेनदेन भएको जनिने प्रमाणलाई सम्भन्नु पर्दछ र नगरपालिकाले कर लगाउँदा कारोवार रकमको निश्चित प्रतिशतका दरले लगाउने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गर्ने ब्यक्ती वा संस्थालाई नगरपालिकाले व्यवसाय इजाजत दिदा कर बुझाउने शर्त र विधि समेत तोक्यो इजाजत दिनेछ ।

७. **सवारी साधन कर:**(१) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सवारी साधनमा प्रदेशले सवारी साधन कर लगाउने र उठाउनेछ । तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सा तथा स्कुटरमा नगरपालिकाले सवारी साधन करलगाउने र उठाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिका ले लगाउने भनी तोकिएका सवारी साधनहरुको दर्ता, नवीकरण र सवारी साधन करको दर अनुसूची (६) बमोजिम हुनेछ ।

(३) प्रदेशले लगाएको सवारी साधन कर रकमबाट नगरपालिका ले प्राप्त गर्ने हिस्सा प्रचलित संघीय र प्रदेश कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. **विज्ञापन कर:**(१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापन,प्रचारप्रसार आदिका लागि राख्न दिने साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा अनुसूची (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

- (२) उपदफा (१) बमोजिमको कर उठाउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी लागु गर्न सक्नेछ ।
- (३) यस दफा बमोजिम नगरपालिका ले उठाएको विज्ञापन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशसंग बाँडफाँड गरिनेछ ।

९. **मनोरञ्जन कर:** (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालित सिनेमाहल,सांस्कृतिक प्रदर्शनहल, थियटर सङ्गीत, मनोरञ्जन प्रदर्शनस्थल,जादू, सर्कस, चटक जस्ता मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम नै अनुसूची (८) को दरमा मनोरञ्जन कर लगाई असलु उपर गरिनेछ ।

- (२) उप दफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले उठाएको मनोरञ्जन कर बापतको रकम प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशसंग बाँडफाँड गरिनेछ ।

१०. **बहाल विटौरी शुल्क:** (१) नगरपालिका ले आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका देहाय बमोजिमका सम्पत्तिहरुमा अनुसूची (९) बमोजिमको दरमा बहाल विटौरी शुल्क लगाउन र उठाउन सक्नेछ :

- (क) आफुले निर्माण गरेका वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका भवन, जग्गा वा अन्य सम्पत्ति,
- (ख) आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थल, ऐलानी जग्गा वा बाटोको छेउको जग्गामा भएका अस्थायी टहरा, छाप्रा वा पसल वा आवास,
- (ग) नगरपालिका ले तोकेको सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा थापेका पसल,
- (२) उपदफा (१)को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल विटौरी शुल्क उठाउनका लागि कार्यपालिकाले न्यूनतम दर निर्धारण गरी बोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमबाट बहालमा दिन सक्नेछ ।

- (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको सम्पत्तिमा बहाल विटौरी शुल्क उठाउनका लागि नगरपालिकाले त्यस्तो स्थानमा खरीद बिक्री हुने वस्तु तथा सेवा एवं कारोवारको आधारमा तोकेको न्यूनतम बहाल विटौरी शुल्कको दरमा बोलपत्र वा दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमबाट बहाल विटौरीमा दिन सकिनेछ ।
- (४) उपदफा (२) र (३) बमोजिम बहाल विटौरीमा दिंदा शर्त सहित सम्झौता गरी दिनु पर्नेछ ।

११. **पार्किङ्ग शुल्क:**(१) नगरपालिका ले आफ्नो क्षेत्रभित्र तोकेको पार्किङ्गस्थलमा सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएवापत पार्किङ्ग गर्ने समयको आधारमा अनुसूची (१०) मा उल्लेख भएबमोजिमको दरमा पार्किङ्ग शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

- (२) नगरपालिका ले उपदफा (१) बमोजिम तोकेको स्थान बाहेक अन्य स्थानमा सवारी पार्किङ्ग गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । तर सामान्यतः राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गको सडक अधिकार क्षेत्रभित्र यस दफा बमोजिम सवारी पार्किङ्ग गराइने र शुल्क लगाइने छैन ।
- (३) नगरपालिका ले सवारी पार्किङ्ग क्षेत्र निर्धारण गर्दा सवारी आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयसंगको समन्वयमा गर्नेछ ।

१२. **सेवा शुल्क, दस्तुर:**(१)नगरपालिका ले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका वा हुँने केबलकार, ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्प, जिपफ्लायर, च्याफ्टिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग लगायतका स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

तर सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगाइनेछ ।

(२) नगरपालिकाले निर्माण वा संचालन तथा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूर्वाधार वा उपलब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत सम्बन्धित सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा शुल्क, दस्तुर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ :

(क) खानेपानी, विजुली, अतिथि गृह, धर्मशाला, पुस्तकालय, सभागृह र त्यस्तै अन्य सेवा सुविधा,

(ख) फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल निकास, सडक बत्ती जस्ता सेवा सुविधा,

(ग) शौचालय, पार्क, स्नानगृह, पौडी पोखरी, व्यायामशाला, गेष्टहाउस, पर्यटकीय स्थल, छात्रावास, हाटबजार, पशु बधशाला, शबदाहगृह, धोवीघाट र त्यस्तै अन्य सुविधा,

(घ) सडक, बस पार्क, ढल, पुल जस्ता सेवा,

(ङ) अचल सम्पत्ति वा अन्य कुनै विषयको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,

(च) नगरपालिका ले प्रदान गर्ने सिफारिश सम्बन्धी कुनै सेवा,

(छ) ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल एवं धार्मिक महत्वका सम्पदाको प्रवेश शुल्क ।

तर ऐतिहासिक स्थल, पुरातात्विक स्थल र धार्मिक महत्वका सम्पदामा प्रवेश गर्दा नेपाली नागरिकलाई यस प्रकरण बमोजिम शुल्क लिन पाइने छैन ।

(३) नगरपालिका ले एफ.एम. रेडियो, “घ” बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत, विद्यालय स्थापना, ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर, औषधी पसल,स्थानीय व्यापारिक फर्मको दर्ता, अनुमति, नविकरण तथा नियमन आदि सेवामा सेवा शुल्क दस्तुर तोकी लगाइने र उठाइनेछ ।

(४) दफा (१), (२) र (३) बमोजिम लगाइने सेवा शुल्क, दस्तुरको दर अनुसूची (११) मा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।

१३. विक्री तथा निकासी शुल्क : (१) नगरपालिका ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थलबाट उत्पादन हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुहरूको विक्री गर्न सक्नेछ ।

व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको जग्गाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदिको व्यावसायिक उत्पादन गरि गरिने विक्रि वितरण सम्बन्धमा कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाई शुल्क लगाई असुल उपर गर्न र नियमन गर्न सक्नेछ ।

(२) नगरपालिका ले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन भै आफ्नो सिमा क्षेत्रभन्दा बाहिर निकासी हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ दाउरा, जराजुरी, स्लेट आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको वाह्य निकासीमा निकासी शुल्क लगाउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम नगरपालिका ले गर्ने विक्रीको दर अनुसूची (१२) मा तोकिए बमोजिम हुनेछ । संकलन शुल्क तथा निकासी शुल्कको दर प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेबमोजिमको उच्चतम दरमा लगाईनेछ ।

(४) कार्यपालिकाले आफ्नो प्रयोगमा नआउने पुराना र काम नलाग्ने वस्तु, उपकरण तथा सामानहरू लिलामविक्री गर्न सक्नेछ ।

(५) कार्यपालिकाले नागरिकको सुविधाको लागि विभिन्न फाराम तथा पुस्तकहरू वा अन्य सेवा विक्री गर्न सक्नेछ ।

(६) उपदफा (१) बमोजिमका वस्तुहरू विक्री तथा उपदफा (२) बमोजिमको निकासी शुल्क असूलीका लागि विक्री तथा निकासीको परिमाण तथा दर निर्धारण गरी वोलपत्र, दरभाउ पत्र वा डाँक बढावढको माध्यमबाट समेत गर्न सक्नेछ ।

१४. नक्सापास दस्तुर : नगरक्षेत्रभित्र निर्माण गरिने भवनको नक्सापास दस्तुर अनुसूची (१३) बमोजिम लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

१५. **घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क :** (१) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेश कानूनले तोके बमोजिम लगाइने र उठाईनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उठेको रकम संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम बाँडफाँड गरिनेछ ।

(३) घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउन नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारले तोकेको कार्यालय मार्फत उठाईनेछ ।

१६. **दण्ड जरिवाना :** (१) नगरपालिका ले निर्धारण गरेको कर, शुल्क तथा महसुल तोकिएको समयमा भुक्तानी नगरेमा यस ऐनमा वा अन्य सम्बन्धित कानूनमा दर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा कार्यपालिकाबाट निर्धारित दरमा जरीवाना सहित बक्यौता असुल गर्नेछ ।

(२) नगरपालिकाले उपदफा (१) बाहेक प्रचलित कानून पालना नगरेको कसूरमा लगाउने अन्य दण्ड जरिवाना रकम सम्बन्धित कानूनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१७. **कर छुट :** (१) दफा २ मा भएको व्यवस्था बाहेक वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने राजश्व सोही आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक भित्र र मासिक रुपमा तिर्नुपर्ने राजश्वको हकमा महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र बुझाउने करदातालाई नियमानुसार लाग्ने राजश्वको क्रमशः दश र पाँच प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

(२) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, कूटनीतिक नियोग, गुठी र लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्थाको सम्पत्ति, वस्तु तथा कारोवारमा यस ऐन बमोजिमको कर लिईने छैन ।

स्पष्टीकरण: लाभको उद्देश्य नराखी सञ्चालन हुने संघसंस्था भन्नाले सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालय र सोका आगिक कलेजहरु, सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयहरु, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाचनालाय, वालगृह, अनाथाश्रम, बृद्धाश्रम जस्ता सामाजिक संघसंस्था सम्भन्नु पर्दछ ।

(३) विपद् वा अन्य यस्तै प्रकृतिका विशेष परिस्थितिको कारणले करदाताहरुले कर भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सोको स्पष्ट कारण खुलाई नगरसभाको निर्णय बमोजिम कर वा जरिवाना छुट दिन सकिनेछ ।

(४) कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक नगरपालिकाको कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै प्रकारको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना छुट दिन पाउने छैन ।

तर स्थानीय आर्थिक कृयाकलापमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने किसिमका उद्योग व्यवसायमा निश्चित अवधीसम्म सभाले बनाएको कानून बमोजिम कर, दस्तुर, शुल्क छुट दिन बाधा पर्ने छैन ।

१८. प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन : (१) नगरपालिका ले गरेको कर, शुल्क, महसुल, दण्ड, जरिवाना सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझेमा करदाताले नगरपालिकामा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन उपर प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि कार्यपालिकाले प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित विषय विज्ञ समेत रहने गरी तीन सदस्यीय राजश्व प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्नेछ । यस्तो समितिमा कर निर्धारणमा सम्लग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहभागिता रहने छैन ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम पुनरावलोकनको लागि प्राप्त भएको निवेदन उपर पैतिस दिनभित्र छानविन तथा निर्णय गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई निर्णयको जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(४) नगरपालिका ले तोकिएको समयमा यस दफा बमोजिम प्रशासकिय पुनरावलोकन नगरेको कारणले करदालाई थप आर्थिक भार पर्न गई हानी नोक्सानी पर्न गएमा नगरपालिका ले त्यसको क्षतिपुर्ति दिनु पर्दछ ।

१९. ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने : (१) यस ऐन बमोजिम संकलन गर्ने सेवा शुल्क र दस्तुर कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार एक आर्थिक वर्षको लागि आय ठेक्का बन्दोबस्त गरी संकलन गर्नसक्नेछ ।

तर, आन्तरिक आय वृद्धि हुने देखिएमा वा पटक पटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा प्रशासनिक दायित्व बढ्न जाने अवस्थामा बढीमा दुई वर्षसम्मको लागि एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सकिनेछ ।

(२) यस दफा बमोजिमको आय ठेक्का दिदा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(३) नगरपालिकाले सामान्यतया आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगावै ठेक्का बन्दोबस्त गरी ठेक्का सम्भौता कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।

(४) नगरपालिकाले कर संकलन गर्न सामान्यतया ठेक्का बन्दोबस्त गरिने छैन । तर जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तुकर तथा विज्ञापन कर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त नै गर्नु पर्ने अवस्थामा सभाको निर्णय गराई ठेक्कामा संकलन गर्न सकिनेछ ।

२०. सहयोग गर्नुपर्ने : संघीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयहरूले नगरपालिका को राजस्व असुली कार्यमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

२१. प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिने : नगरपालिकाले करको दर निर्धारण गर्दा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई कम बोझ पर्ने गरी प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

२२. साभेदारी गर्न सक्ने : नगरपालिकाले संकलन गर्ने कर, सेवा शुल्क वा दस्तुर संकलन गर्न स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ वा अन्य कुनै उपयुक्त सस्थासंग साभेदारी गर्दा संकलन कार्य प्रभावकारी र मितव्ययि हुँने देखिएमा कार्यपालिकाले निर्णय गरि कार्यविधि बनाई साभेदारीमा गर्न सक्नेछ ।

२३. कार्यविधि बनाउन सक्ने : (१) ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नगरपालिका ले आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागु गर्न सक्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम बनेको कार्यविधि वा निर्देशिका सम्बन्धित कार्यपालिकावाट स्वीकृत भई सार्वजनिक भए पछि लागु हुनेछ ।
- (३) विभिन्न अनुसूचीमा उल्लेख भएको कर दस्तुर, सेवा शुल्क वा दण्ड जरिवाना आदीमा कुनै शिर्षक छुट्न गएको अवस्थामा कार्यपालिकाले निर्णय गरि त्यस्तो शिर्षक थप गर्न तथा कर, दस्तुर, सेवाशुल्क निर्धारण गरि असुल उपर गर्न सक्नेछ ।
२४. प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा उल्लेख गरिएका विषयहरूमा यसै बमोजिम र उल्लेख नगरिएका विषयमा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

प्रमाणिकरण मिति २०७५।०३।२८
आज्ञाले,
चक्रपाणि शर्मा
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

अनुसूची १

(ऐनको दफा २ को उपदफा(२) संग सम्बन्धित)

सम्पत्ति करको दर

| क्र.सं. | कर योग्य एकिकृत सम्पतिको मुल्य | सम्पत्ति कर रु |
|---------|---|----------------|
| १ | रु. १ देखि ५ लाख सम्म | १२५ |
| २ | रु. ५ लाख १ देखि १० लाख सम्म | २५० |
| ३ | रु. १० लाख १ देखि १५ लाख सम्म | ४०० |
| ४ | रु. १५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | ५५० |
| ५ | रु. २० लाख १ देखि ३० लाख सम्म | ७५० |
| ६ | रु. ३० लाख १ देखि ४०लाख सम्म | १०८० |
| ७ | रु. ४० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | १३०० |
| ८ | रु. ५० लाख १ देखि ६० लाख सम्म | १६०० |
| ९ | रु. ६० लाख १ देखि ७० लाख सम्म | १९०० |
| १० | रु. ७०लाख १ देखि ८० लाख सम्म | २२०० |
| ११ | रु. ८० लाख १ देखि ९० लाख सम्म | २५०० |
| १२ | रु.९०लाख १ देखि १ करोड सम्म सम्म | २८०० |
| १३ | रु.१करोड १देखि १करोड २० लाख सम्म | ३५०० |
| १४ | रु.१करोड २०लाख १देखि १ करोड ६० लाख सम्म | ५००० |
| १५ | रु. १करोड ६०लाख १ देखि २ करोड सम्म | ६५०० |
| १६ | रु. २ करोड १ देखि २ करोड २० लाख सम्म | ७५०० |
| १७ | रु. २ करोड २० लाख देखि २ करोड ७० लाख सम्म | ९५०० |
| १८ | रु. २ करोड ७० लाख देखि ३ करोड ३० लाख सम्म | १२००० |
| १९ | रु. ३ करोड ३० लाख देखि ४ करोड सम्म | १५००० |
| २० | रु. ४ करोड १ देखि ४ करोड ५० लाख सम्म | १८००० |
| २१ | रु. ४ करोड ५० लाख देखि ५ करोड सम्म | २१००० |
| २२ | रु ५ करोड १ देखि माथि प्रति हजारको | १ |

नोट : मुल्यांकन रकमलाई रु लाखमा (round figure)मा परिणत गरी करको दर निर्धारण हुनेछ ।

अनुसूची २

(ऐनको दफा ४ को उपदफा(२) संग सम्बन्धित)

घर जग्गा बहाल करको दर

नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति, सस्था वा सार्वजनिक निकायले घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले बहाल कर लिइने छ ।

अनुसूची ३

(ऐनको दफा ५ को उपदफा(३) संग सम्बन्धित)

व्यवसाय इजाजत (दर्ता र नबिकरण) दस्तुरको दर

| क्र.सं. | व्यवसायको किसिम | व्यवसाय दर्ता दस्तुर | नबिकरण दस्तुर |
|---------|---|----------------------|---------------|
| १ | सुन, चाँदी, विक्रेता | १००० | ५०० |
| २ | इलेक्ट्रोनिक | | |
| | क) टिभि, कम्प्युटर, मोबाइल, क्यासेट रेकर्डर तथा प्लेयर, रेडियो, घडि, विजुलीका सामान आदी अलग अलग वा संयुक्त रुपमा बेच्ने पसल वा सोका सामान विक्रि गर्ने पसलहरु सबै | ७५० | ३०० |
| | ख) फ्रिज, वासिड मेशिन वा यस्तै भारी सामान विक्री गर्ने | २५०० | १००० |
| | ग) फोन, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट, रेमिटेन्स सेवा, फोटोकपि, कुरियर राखेकोलाई | ७५० | ३०० |
| ३ | धुम्रपान तथा मद्यपान/पेय पदार्थ | | |
| | क) चुरोट तथा रक्सीको विक्रेता | २००० | १००० |
| | ख) हलुका पेय पदार्थको विक्रेता | ५०० | २५० |
| | ग) चुरोट, पान, सुपारी तथा यस्तै अन्य सामान राखी विक्रि गर्ने पसल | ५०० | २५० |
| | नोट : सरकारी कार्यालय तथा विद्यालय क्षेत्रबाट ३०० मि.सम्म धुम्रपान तथा मद्यपान सम्बन्धि पसल राख्न तथा व्यवसाय गर्न नपाईने । | | |

| | | | |
|---|--|-------|-------|
| ४ | निर्माण सामाग्री तथा हार्डवयर सम्बन्धि सबै व्यवसाय | २५०० | १००० |
| ५ | फर्निचर उद्योग | | |
| | क) टूलि समेत राखेको स-मिल | ५००० | २५०० |
| | ख) स-मिल तथा उच्च स्तरको फर्निचर बनाउने उद्योग | २५०० | १२५० |
| | ग) सामान्य फर्निचर उद्योग | २००० | १००० |
| घ) चेन सो मेसिन (दर्ता नगरी चलाउन नपाउने) | ५००० | २५०० | |
| ६ | पेट्रोलियम पदार्थ | | |
| | क) आयल निगमको डिलर भै पेट्रोलियम पदार्थ विक्रि गर्ने | ५००० | २५०० |
| ख) ग्यास विक्रि गर्ने | १००० | ५०० | |
| ७ | खाद्यन्न थोक पसल | १००० | ५०० |
| | खाद्यन्न, फलफूल, तरकार आदी सम्बन्धि किराना पसल | ७५० | ३०० |
| ८ | कपडा, जुता चप्पल, फेन्सी वा यस्तै प्रकृतिको पसल | ५०० | २५० |
| ९ | परामर्श सेवा | | |
| | क) घरनक्सा बनाउने | २५०० | १२५० |
| ख) लेखापरीक्षण, कानुनी सेवा तथा अन्य | ७५० | ३०० | |
| १० | सामान आपूर्ति तथा ढुवानी सम्बन्धि व्यवसाय | १५०० | ७५० |
| ११ | निर्माण व्यवसाय | | |
| | घ) वर्गको | १०००० | ५००० |
| १२ | कृषी पशुपक्षीजन्य उत्पादनमूलक उद्योग | ५०० | २५० |
| १३ | अन्य स साना उद्योग | १००० | ५०० |
| १४ | उर्जामुलक उद्योग-हाइड्रो | | |
| | एक मेघावाट सम्मको | ५०००० | १०००० |
| १५ | होटल व्यवसाय | | |
| | क) होटल लज (होटल लज, रेष्टुरा) | १००० | ५०० |

| | | | |
|----|---|------|------|
| | ख) चिया खाजा, खाना सहितको सामान्य वास सहितको होटल | ३०० | १५० |
| १६ | सेवा उद्योग | | |
| | क) अफसेट प्रेस | १००० | ५०० |
| | ख) लेटर प्रेस | ५०० | २५० |
| | ग) सार्वजनिक परिवहन (बुकिङ काउन्टर) | ५०० | २५० |
| | घ) विज्ञापन सेवा | ७५० | ३७५ |
| | च) बैदेशिक रोजगार सेवा | ५०० | २५० |
| | छ) स्वदेशी रोजगार सेवा | ५०० | २५० |
| | ज) सेक्रेटरियल सेवा | ५०० | २५० |
| | झ) मिल, सेलर, घट्ट आदि | ३०० | १५० |
| | ञ) मसला उद्योग | ३०० | १५० |
| | ट) डेरी उद्योग | ५०० | २५० |
| | ठ) टेलिफोन टावर सञ्चालन | ५००० | २५०० |
| | ड) अन्य उद्योग (मैन बत्ती, साबुन आदि) | ५०० | २५० |
| १७ | स्टेशनरी, पत्र पत्रिका तथा पुस्तक पसल | ५०० | २५० |
| १८ | वित्तिय सेवा | | |
| | बैंकको शाखा कार्यालय | ५००० | २५०० |
| | लघु वित्त संस्था | २५०० | १२५० |
| | विमा कम्पनीको शाखा कार्यालय | २५०० | १२५० |
| | विदेशी मुद्रा सटही काउन्टर | १००० | ५०० |
| | अन्य वित्तिय सेवा | ५०० | ५०० |
| १९ | स्वास्थ्य सेवा | | |
| | क) निजी अस्पताल | २५०० | १२५० |
| | ख) नर्सिङ होम | २५०० | १२५० |
| | ग) क्लिनिक तथा ल्याव | १००० | ५०० |
| | घ) औषधी पसल | १००० | ५०० |
| २० | तालिम तथा सिकाई केन्द्र | | |
| | क) टाईपिङ तथा कम्प्युटर इन्सीच्युट र भाषा प्रशिक्षण | ५०० | २५० |

| | | | |
|----|---|------|------|
| | ख) सिलाई बुनाई सम्बन्धि तालिम केन्द्र | २५० | १०० |
| | ग) अन्य यस्तै तालिम केन्द्र | ५०० | २५० |
| २१ | मर्मत संभार | | |
| | क) हेवी इक्विमेन्ट्स, बस, ट्रक, जिप, कार, ट्याक्टर | १५०० | ७५० |
| | ख) मोटरसाइकल, टेम्पो तथा अन्य | ५०० | २५० |
| २२ | हाउजिङ कम्पनी तथा घर जग्गा खरिद विक्रि | २५०० | १२५० |
| २३ | डाईक्लिनर्स धोवी | ५०० | २५० |
| २४ | टेलर/शैलुन/पार्लर, श्रृङ्गारको सामान लगायत यस्तै व्यवसाय | ५०० | २५० |
| २५ | मासु व्यवसाय | | |
| | क) पशु वधशाला | १००० | ५०० |
| | ख) माछा तथा मासु विक्रेता | ५०० | २५० |
| | ग) पोर्ल्टी फार्म | ५०० | २५० |
| २६ | भाडा पसल | १००० | ५०० |
| २७ | ग्रील उद्योग | २५०० | १२५० |
| २८ | मिठाई वा बेकरी वा कोल्ड ड्रिङ्क वा चिया वा यस्तै पसल | ५०० | २५० |
| २९ | प्राङ्गारिक मल विऊ विजन तथा जैविक विषादी पसल | ५०० | २५० |
| ३० | रासायनिक मल तथा रासायनिक विषादी पसल (नगरपालिकाले निर्धारण गरेको मितिदेखि उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाईने छैन, बन्द गर्नुपर्नेछ) | ३००० | १५०० |
| ३१ | कबाडि व्यवसाय | १००० | ५०० |
| ३२ | मेला सहोत्सव | २००० | -- |

अनुसूची ४

(ऐनको दफा ५ को उपदफा(५) संग सम्बन्धित)

नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका निम्नानुसारका व्यवसायहरूमा निम्नानुसारको दरमा व्यवसाय कर लगाउने र असुल गरिनेछ :

| क्र.सं. | व्यवसायको किसिम | व्यवसाय करको दर | कैफियत |
|---------|---|-----------------|--------|
| १ | सुन, चाँदी, विक्रेता | २००० | |
| २ | इलेक्ट्रोनिक | | |
| | क) टिभि, कम्प्युटर, मोबाइल, क्यासेट रेकर्डर तथा प्लेयर, रेडियो, घडि, बिजुलीका सामान आदी अलग अलग वा संयुक्त रुपमा बेच्ने पसल वा सोका सामान विक्रि गर्ने पसलहरू सबै | १५०० | |
| | ख) फ्रिज, वासिङ मेशिन वा यस्तै भारी सामान विक्री गर्ने | ५००० | |
| | ग) फोन, फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट, रेमिटेन्स सेवा, फोटोकपी, कुरियर राखेकोलाई | १५०० | |
| ३ | धुम्रपान तथा मद्यपान/पेय पदार्थ | | |
| | क) चुरोट तथा रक्सीको विक्रेता | ३००० | |
| | ख) हलुका पेय पदार्थको विक्रेता | १००० | |
| | ग) चुरोट, पान, सुपारी तथा यस्तै अन्य सामान राखी विक्रि गर्ने पसल | १००० | |
| | नोट सरकारी कार्यालय तथा विद्यालय क्षेत्रबाट ३०० मि.सम्म धुम्रपान तथा मद्यपान सम्बन्धि पसल राख्न तथा व्यवसाय गर्न नपाईने | | |
| ४ | निर्माण सामाग्री तथा हार्डवयर सम्बन्धि सबै व्यवसाय | ५००० | |
| ५ | फर्निचर उद्योग | | |
| | क) टूलि समेत राखेको स-मिल | १०००० | |
| | ख) स-मिल तथा उच्च स्तरको फर्निचर बनाउने उद्योग | ५००० | |

| | | | |
|----|--|--------|--|
| | ग) सामान्य फर्निचर उद्योग | ४००० | |
| | घ) चेन सो मेसिन (दर्ता नगरी चलाउन नपाउने) | ५००० | |
| ६ | पेट्रोलियम पदार्थ | | |
| | क) आयल निगमको डिलर भै पेट्रोलियम पदार्थ विक्रि गर्ने | ५००० | |
| | ख) ग्यास विक्रि गर्ने | २००० | |
| ७ | क) खाद्यन्न, थोक पसल | २००० | |
| | ख) खाद्यन्न, फलफूल, तरकारी आदी सम्बन्धि किराना पसल | १५०० | |
| ८ | कपडा, जुता चप्पल, फेन्सी वा यस्तै प्रकृतिको पसल | १००० | |
| ९ | परामर्श सेवा | | |
| | क) घरनक्सा बनाउने | ५००० | |
| | ख) लेखापरीक्षण, कानुनी सेवा तथा अन्य | १५०० | |
| १० | सामान आपूर्ति तथा ढुवानी सम्बन्धि व्यवसाय | ३००० | |
| ११ | निर्माण व्यवसाय | | |
| | क) वर्गको | ५००० | |
| | ख) वर्गको | ४००० | |
| | ग) वर्गको | ३००० | |
| | घ) वर्गको | २००० | |
| १२ | कृषी पशुपक्षीजन्य उत्पादनमूलक उद्योग | १००० | |
| १३ | अन्य स साना उद्योग | २००० | |
| १४ | उर्जामूलक उद्योग-हाइड्रो | | |
| | एक मेघावाट सम्मको | १०००० | |
| | एक मेघावाट भन्दा बढि ५ मेघावाट सम्मको | २०००० | |
| | ५ मेघावाट भन्दा बढि २० मेघावाट सम्मको | ५०००० | |
| | २० मेघावाट भन्दा बढि क्षमताको | १००००० | |

| | | | |
|----|---|-------|--|
| १५ | होटल व्यवसाय | | |
| | क) होटल लज (होटल लज, रेष्टुरा) | २००० | |
| | ख) चिया खाजा, खाना सहितको सामान्य वास सहितको होटल | ५०० | |
| १६ | सेवा उद्योग | | |
| | ख) अफसेट प्रेस | २००० | |
| | ख) लेटर प्रेस | १००० | |
| | ग) सार्वजनिक परिवहन (बुकिङ काउन्टर) | १००० | |
| | घ) विज्ञापन सेवा | १५०० | |
| | च) वैदेशिक रोजगार सेवा | १००० | |
| | छ) स्वदेशी रोजगार सेवा | १००० | |
| | ज) सेक्रेटरियल सेवा | १००० | |
| | झ) मिल, सेलर, घट्ट आदि | ५०० | |
| | ञ) मसला उद्योग | ५०० | |
| | ट) डेरी उद्योग | १००० | |
| | ठ) टेलिफोन टावर सञ्चालन | १०००० | |
| | ड) अन्य उद्योग (मैन बत्ती, साबुन आदि) | १००० | |
| १७ | स्टेशनरी, पत्र पत्रिका तथा पुस्तक पसल | १००० | |
| १८ | वित्तिय सेवा | | |
| | बैंकको शाखा कार्यालय | १०००० | |
| | लघु वित्त संस्था | ५००० | |
| | विमा कम्पनीको शाखा कार्यालय | ५००० | |
| | विदेशी मुद्रा सटही काउन्टर | २००० | |
| | अन्य वित्तिय सेवा | १००० | |
| १९ | स्वास्थ्य सेवा | | |
| | क) निजी अस्पताल | ५००० | |

| | | | |
|----|---|------|--|
| | ख) नर्सिङ होम | ५००० | |
| | ग) क्लिनिक तथा ल्याब | २००० | |
| | घ) औषधी पसल | २००० | |
| २० | तालिम तथा सिकाई केन्द्र | | |
| | क) टाईपिङ तथा कम्प्युटर इन्सीच्युट र भाषा प्रशिक्षण | १००० | |
| | ख) सिलाई बुनाई सम्बन्धि तालिम केन्द्र | ५०० | |
| | ग) अन्य यस्तै तालिम केन्द्र | ५०० | |
| २१ | मर्मत संभार | | |
| | क) हेवी इक्विपमेन्ट्स, बस, ट्रक, जिप, कार, ट्याक्टर | ३००० | |
| | ख) मोटरसाइकल, टेम्पो तथा अन्य | १००० | |
| २२ | हाउजिङ कम्पनी तथा घर जग्गा खरिद विक्रि | ५००० | |
| २३ | ड्राईक्लिनर्स धोवी | १००० | |
| २४ | टेलर/शैलुन/पार्लर, श्रृङ्गारको सामान लगायत यस्तै व्यवसाय | १००० | |
| २५ | मासु व्यवसाय | | |
| | क) पशु वधशाला | २००० | |
| | ख) माछा तथा मासु विक्रेता | १००० | |
| | ग) पोर्ली फार्म | १००० | |
| २६ | भाडा पसल | २००० | |
| २७ | ग्रील उद्योग | ५००० | |
| २८ | मिठाई वा बेकरी वा कोल्ड ड्रिङ्ग वा चिया वा यस्तै पसल | ५०० | |
| २९ | प्राङ्गारिक मल विज्ञ विज्ञन तथा जैविक विषादी पसल | ५०० | |
| ३० | रासायनिक मल तथा रासायनिक विषादी पसल (नगरपालिकाले निर्धारण गरेको मितिदेखि उक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाईने छैन, बन्द गर्नुपर्नेछ) | ५००० | |
| ३१ | कवाडि व्यवसाय | १००० | |
| ३२ | मेला सहोत्सव (प्रतिदिन) | २००० | |

अनुसूची ५

(ऐनको दफा ६ को उपदफा(१) संग सम्बन्धित)

जडिबुटी, कवाडी, जीवजन्तु करको दर

| क्र. सं. | करको किसिम | करको दर (रकम रु) | कैफियत |
|----------|--|------------------|--------|
| | ऊन, खोटो, | | |
| १. | ऊन (प्राकृतिक, कृत्रिम, जगर) प्रति के. जी. | १०० | |
| २. | खोटो प्रति के.जी. | ५० | |

क. जडिबुटी, वनकस

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | करको दर | कैफियत |
|---------|------------------|------|---------|--------|
| १ | सुनपाती | केजी | १.५० | |
| २ | विष | केजी | ५ | |
| ३ | मजिटो | केजी | १.५० | |
| ४ | विषफेज | केजी | ३ | |
| ५ | ओखरफलको बोक्रा | केजी | १.५० | |
| ६ | ओखर काण्ड बोक्रा | केजी | १० | |
| ७ | सुगन्धकोकीलाफल | केजी | ४ | |
| ८ | चिराइतो | केजी | २ | |
| ९ | चुत्रोको बोक्रा | केजी | ०.५० | |
| १० | कुरीलोको जरा | केजी | १.५० | |
| ११ | सुगन्धवाल | केजी | ५ | |
| १२ | अल्लो | केजी | १.२५ | |
| १३ | भ्याउ | केजी | ५ | |
| १४ | अर्गोली | केजी | २.५० | |
| १५ | पाखनवेत | केजी | २.५० | |
| १६ | भूतकेश | केजी | १.५० | |

| | | | | |
|----|---|----------|------|--|
| १७ | लोक्ता | केजी | ५.५० | |
| १८ | ठिंग्रे सल्लाको सिम्टा | केजी | २० | |
| १९ | पदमचाल | केजी | ३ | |
| २० | कुट्की | केजी | ४ | |
| २१ | धुपी तेल | केजी | ३५ | |
| २२ | धसिंगरे तेल | केजी | २० | |
| २३ | अमिसो | केजी | ०.२५ | |
| २४ | सोमलता | केजी | २.५० | |
| २५ | जटामसी | केजी | ३.५० | |
| २६ | तेजपात | केजी | ०.१५ | |
| २७ | गाब्रे सल्लाको सिम्टा खोल्मे | केजी | ०.२५ | |
| २८ | नागबेली पाउडर | केजी | ०.५० | |
| २९ | खोटो | केजी | १.२५ | |
| ३० | गाब्रे सल्लाको पातको तेल | केजी | ३० | |
| ३१ | सतुवा | केजी | १० | |
| ३२ | धुपीपात | केजी | १.५० | |
| ३३ | नागबेली | केजी | ०.५० | |
| ३४ | सुगन्धीत तेल | केजी | ५० | |
| ३५ | कालो मुसुली | केजी | १० | |
| ३६ | सेतो मुसुली | केजी | ५ | |
| ३७ | सुनपाती तेल | केजी | ५५ | |
| ३८ | साधारण च्याउ | केजी | २.५० | |
| ३९ | इन्द्रेयनी | केजी | २.५० | |
| ४० | नेपाली कागज | कोरी | ६ | |
| ४१ | सल्लो/उत्तीस र अन्य बरामदी काठ (गोलीया) | क्यू.फि. | ३ | |
| ४२ | सल्लो/उत्तीस र अन्य बरामदी काठ (चिरान) | क्यू.फि. | ३.५ | |

| | | | | |
|----|---------------------------|-------|-------|--|
| ४३ | भेनियर पत्ता (ट्याक्टर) | ट्रिप | ५०० | |
| ४४ | भेनियर पत्ता (मिनीट्रक) | ट्रिप | ८०० | |
| ४५ | भेनियर पत्ता (ट्रक)) | ट्रिप | १२०० | |
| ४६ | भेनियर पत्ता (भ्यानट्रक)) | ट्रिप | १५०० | |
| ४७ | दाउरा (ट्याक्टर) | ट्रिप | २०० | |
| ४८ | दाउरा (मिनीट्रक) | ट्रिप | २५० | |
| ४९ | दाउरा (ट्रक)) | ट्रिप | ४०० | |
| ५० | काठको भुस (ट्याक्टर) | ट्रिप | २५ | |
| ५१ | काठको भुस (मिनीट्रक) | ट्रिप | ५० | |
| ५२ | काठको भुस (भ्यान/ट्रक)) | ट्रिप | १०० | |
| ५३ | बाँस | गोटा | २ | |
| ५४ | वन लसुन | केजी | ६ | |
| ५५ | हाडे लसुन | केजी | १ | |
| ५६ | कुरीलो | केजी | १.५० | |
| ५७ | कोइला | केजी | ०.५० | |
| ५८ | टुकीफुल | केजी | १ | |
| ५९ | बुकीफुल | केजी | ०.५० | |
| ६० | बुकीफुलको तेल | केजी | ५० | |
| ६१ | अवीजालो | केजी | ५ | |
| ६२ | निगालो | गोटा | ०.१० | |
| ६३ | अलैंची | केजी | ३ | |
| ६४ | यासागुम्वा | केजी | १०००० | |
| ६५ | लोठसल्लाको पात | केजी | ५ | |
| ६६ | सुठो | केजी | १ | |
| ६७ | लप्सी | केजी | १ | |
| ६८ | पानी अमला | केजी | ३ | |

ख) कृषि पशु तथा पशुजन्य बस्तु

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | करको दर | कैफियत |
|---------|---|-------|---------|--------|
| १ | प्वाँख | केजी | २ | |
| २ | हाड | केजी | २ | |
| ३ | सिंड | केजी | २ | |
| ४ | खुर | केजी | २ | |
| ५ | छाला ठुलो | गोटा | ३० | |
| ६ | छाला सानो | गोटा | १५ | |
| ७ | भैसी जात (भैसी र राँगा) | गोटा | ५० | |
| ८ | गाई जात (गाई गोरु) | गोटा | ४० | |
| ९ | भेडा, बाखा, बंगुर आदी जात | गोटा | १५ | |
| १० | कुखुरा, हाँस जात | ट्रिप | १०० | |
| ११ | अण्डा | बाकस | ५ | |
| १२ | गोलभेडा, काउली, आलु, बन्दा, साग (ठुलो ट्रक) | ट्रिप | ५०० | |
| १३ | गोलभेडा, काउली आलु, बन्दा, साग (मिनी ट्रक/ट्याक्टर) | ट्रिप | २०० | |
| १४ | लसुन, बेसार, खुर्सानी (ठुलो ट्रक) | ट्रिप | ७०० | |
| १५ | लसुन, बेसार, खुर्सानी (मिनी ट्रक/ट्याक्टर) | ट्रिप | ३०० | |

ग. सबै प्रकारका कवाडी सामान संकलन गरि लैजाने व्यक्ति फर्म वा कम्पनिलाई लाग्ने कर :

| क्र.सं. | विवरण | इकाई | करको दर | कैफियत |
|---------|------------|-------|---------|--------|
| १ | ट्याक्टर | ट्रिप | ५०० | |
| २ | मिनीट्रक | ट्रिप | ८०० | |
| ३ | ट्रक | ट्रिप | १२०० | |
| ४ | ठुलो भ्यान | ट्रिप | १५०० | |

घ. देहायका कवाडी मालसामानको सम्बन्धमा कर लगाउने वा संकलनको लागि उपयुक्त प्रोत्साहन दिई सरसफाईमा सहजता ल्याउने गरि कार्यपालिकाले उपयुक्त कार्यविधि बनाई व्यवस्थापन गर्ने :

| | | | |
|----|---|--|--|
| २. | खाली सीसी -मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा माथि प्रति गोटा | | |
| ३. | खाली सीसी -मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल. भन्दा तल प्रभित गोटा | | |
| ४. | प्लाष्टिक -बोटल, भाँडाकुँडा, पुराना जुत्ता, चपल, ग्यालन र जर्किन आदि) प्रति के.जी | | |
| ५. | खाली बोरा : ५० के.जी सम्म खाद्यन्न अँट्ने प्लाष्टिकका बोरा प्रति गोटा ५० के.जी. सम्म खाद्यान्न अँट्ने जुटका बोरा प्रति गोटा १०० के.जी. सम्म खाद्यान्नअँट्ने जुटका बोराप्रभित | | |
| ६. | तेलको टिन : १० लिटरभन्दा बढी अँट्ने ठूलो प्रति गोटा १० लिटरभन्दा कम अँट्ने सानो प्रभित गोटा | | |
| ७. | पुनः प्रशोधन -रिसाइकलिङ्ग) गरी पुनः प्रयोग हुन सक्ने : भिण्डु -प्राकृतिक र कृत्रिम उनका टुक्रा) प्रति के.जी गार्मेण्टको कपडाको टुक्रा प्रति के.जी. जलेको मोविल प्रति लिटर जुट र प्लाष्टिकका बोरा प्रति के.जी. कार्पेटका टुक्रा प्रति के.जी. टायरट्यूब प्रति के.जी. थोत्रो टिन प्रति के.जी. | | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>पुरानो ड्रम प्रति के.जी. पुराना कागज -अखबार, न्यूजप्रिन्ट) प्रति के.जी. पुराना अन्य कागज -कार्टुन समेत) प्रति के.जी. धातुका टुक्राहरू र पत्रुभइ काम नलाग्ने भएका धातु सामानहरू (क) फलाम प्रति के.जी. (ख) अन्य धातु -पित्तल, तामा आदि) प्रति के.जी. (ग) थोत्रिएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजार प्रति के.जी. पोलिथिन पाइपका टुक्राहरू प्रति के.जी. सिसा -लिड) को धुलो वा टुक्रा प्रति के.जी. काँचको धुलो र टुक्रा प्रति के.जी.</p> | | |
|--|--|--|

अनुसूची ६

(ऐनको दफा ७ को उपदफा(२) संग सम्बन्धित)

सवारी साधन करको दर

| क्र.स. | सवारी साधनको किसिम | वार्षिक करको दर (रकम रु) | कैफियत |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| १. | टाँगा | ५०० | |
| २. | रिक्सा | ५०० | |
| ३. | अटोरिक्सा | १००० | |
| ४. | विद्युतीय रिक्सा तथा स्कुटर | १००० | |

अनुसूची ७

(ऐनको दफा ८ को उपदफा(१) संग सम्बन्धित)

विज्ञापन करको दर

| विज्ञापन सामग्रीको किसिम | करको दर (रकम रु) |
|--|------------------|
| सडक छेउमा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि राखिएको होर्डिङ्गबोर्ड प्रति वर्गफिट | २५ |
| भित्तेलेखन व्यक्तिगत वा सार्वजनिक भवन वा कम्पाउण्ड आदिमा प्रति वर्गफिट | २० |
| ग्लो साइन बोर्ड, डिपिएस बोर्ड प्रति वर्ग फिट | २० |
| तुल व्यानर बढीमा एक महिनाको लागि प्रतिवर्ग फिट | १० |

अनुसूची ८

(ऐनको दफा ९ को उपदफा(१) संग सम्बन्धित)

मनोरञ्जन करको दर(प्रदेश आर्थिक विधेयकको अनुसूची ३ बमोजिम यथावत)

| क्र.स. | मनोरञ्जन व्यवसायको किसिम | मनोरञ्जन करको दर | | |
|--------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | स्थानीय | प्रदेश | एकल दर |
| १. | चलचित्र घरमा चलचित्र प्रदर्शन गर्दा दर्शकहरुवाट प्रति टिकट | टिकट मुल्यको ३ प्रतिशत | टिकट मुल्यको २ प्रतिशत | टिकट मुल्यको ५ प्रतिशत |
| २. | भिडियाघर, सास्कृतिक प्रदर्शन हल, कन्सर्ट, थिएटर, नाटकघर, फनपार्क, वाटरगार्डेन, बालउद्यान, दोहरी साँझ, डान्सवार लगायतमा प्रति टिकट/विल | ३ प्रतिशत | २ प्रतिशत | ५ प्रतिशत |
| ३ | तीन महिनासम्म जादु सर्कस मेला सञ्चालन गराएवापत प्रतिदिन | रु ४० | रु ६० | रु १०० |
| ४ | तीन महिनाभन्दा बढि जादु सर्कस मेला वा मनोरञ्जन प्रदायक कार्यक्रम सञ्चालन गराएवापत मासिक | रु २००० | रु ३००० | रु ५००० |

अनुसूची ९

(ऐनको दफा १०को उपदफा(१) संग सम्बन्धित)

बहाल विटौरी शुल्कको दर

| क्र.सं | विवरण | बहाल विटौरी शुल्कको दर | कैफियत |
|--------|---|--|--------|
| १ | काठको टहरा | नगरकार्यपालिकाले तोके बमोजिम | |
| २ | हाट बजार पसल | नगरकार्यपालिकाले तोके बमोजिम | |
| ३ | जिरी बसपार्क घुम्ती टहरा क) समुह ख) समुह ग) समुह | प्रति वर्ग मिटर रु ५० रु ३० रु २० | |

नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा व्यक्तिले बनाएको संरचना वा न. पा. आफैले निर्माण गरेको व्यापारिक भवन ठेक्कामा लगाउन सकिनेछ । यस्तो संरचनामा लाग्ने मासिक शुल्क ठेक्का सम्झौतानुसार हुनेछ ।

अनुसूची १०

(ऐनको दफा ११को उपदफा(१) संग सम्बन्धित)

पार्किङ्ग शुल्कको दर

| क्र.सं. | सवारीको किसिम | पार्किङ्ग शुल्क प्रति दिन (रु) | कैफियत |
|---------|--|--------------------------------|--------|
| १. | तोकेको पार्किङ्ग क्षेत्रमा पार्किङ्ग गरिने क) बस, ट्रक, लरी, हेभि गाडी ख) ट्याक्टर, मिनीबस ग) जीप, कार, भ्यान घ) मोटरसाईकल | ७० ५० ४० १० | |
| २. | बस पार्कमा पार्किङ्ग गरिने क) बस, मिनीबस ख) ट्रक, ट्याक्टर ग) जीप, कार, भ्यान | ५० ४० ३० | |
| ३. | अन्य सवारी | २० | |

अनुसूची ११

(ऐनको दफा १२ को उपदफा(१), (२) र (३) संग सम्बन्धित)

सेवा, शुल्क, दस्तुर

१. आयश्रोत मुल्याङ्कन सिफारिस शुल्क

| सि.नं. | विवरण | मुल्यांकन सेवा शुल्क दर | पुष्ट्याँइ | कैफियत |
|--------|----------------------------|-------------------------|------------|--------|
| १. | आयश्रोतको कुल रकमको आधारमा | ०.२% | | |

नोट : वैदेशिक अध्ययन प्रयोजनको लागि आयश्रोत प्रमाणित गर्न माग भै आएमा आयश्रोत मुल्यांकन दस्तुर न्यूनतम रु पाँच हजार लिईनेछ । उक्त प्रयोजनको लागि मुल्यांकन गरिने आयश्रोत जे जति भएपनि मुल्यांकन दस्तुर २० हजार भन्दा बढि लिईने छैन ।

२. सम्पत्ती मूल्याँकन सिफारिस शुल्क

- क सम्पत्ती मूल्याँकन सिफारिस शुल्क प्रति हजार ५० पैसाका दरले लिईने छ
- ख. घर जग्गाको मुल्याङ्कन सम्पत्तिकर प्रयोजनको लागि पेश गरे बमोजिम गरिने छ ।
- ग. भौतिक सरचनाको मुल्याङ्कन वा सिफारिस सम्बन्धमा नक्सा पास प्रमाण पत्र वा नक्सा पास दस्तुर बुझाएको निस्सा अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ ।

३. व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर :-

| सि.नं. | विवरण | दस्तुर | कैफियत |
|--------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| १. | ३५ दिन भित्रको घटना दर्तामा | दस्तुर निःशुल्क | |
| २. | त्यसपछिको घटना दर्तामा प्रति घटना | रु ५० | |

४. सिफारिस दस्तुर

| सि. नं. | विवरण | सिफारिस दस्तुर | कैफियत |
|---------|---|----------------|--------|
| १ | नागरिकता | १०० | |
| २ | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिश | २०० | |
| ३ | अङ्कित नागरिकता सिफारिश | १००० | |
| ४ | अन्य मुलुक जाने सिफारिस | १००० | |
| ५ | नाम/जन्ममिति संशोधन/एउटै भएको सिफारिस | १०० | |
| ६ | विद्युत तथा धारा जडान सिफारिस | २०० | |
| ७ | विद्युत/धारा नामसारी सिफारिस | २०० | |
| ८ | २५ कि.वा क्षमता सम्मको विद्युत लाइन जडान | १००० | |
| ९ | ५० कि.वा क्षमता सम्मको विद्युत जाइन जडान | २००० | |
| १० | १०० कि.वा क्षमता सम्मको विद्युत जाइन जडान | ३००० | |
| ११ | व्यवसाय दर्ता सिफारिस | | |
| | क) रु १ देखि ५ लाख सम्मको पुँज भएको | ५०० | |
| | ख) रु ५ लाख देखि १० लाख सम्मको पुँज भएको | १००० | |
| | ग) रु १० लाख देखि २० लाख सम्मको | १५०० | |
| | घ) व्यवसाय ठाउँसारी/नामसारी सिफारिश | ३०० | |
| | ङ) व्यापार व्यवसाय नभएको/संचालन नभएको सिफारिश | २०० | |
| १२ | उद्योग दर्ता | | |
| | क) १० हर्ष पावर सम्मको | १००० | |

| | | | |
|----|--|-------|--|
| | ख) १०-२० हर्ष पावर सम्मको | १५०० | |
| | ग) २०-५० हर्ष पावर सम्मको | २००० | |
| | घ) ५० हर्ष पावर भन्दा माथिको | ३००० | |
| | ड) उद्योग ठाउँसारी/नामसारी | १००० | |
| | चौपाया सम्बन्धि सिफारिश | २०० | |
| | आन्तरीक बसाई सराई सिफारिश | १०० | |
| | ब्यक्तिगत विवरण सिफारिश | २०० | |
| | संरक्षक (ब्यक्तिगत/संस्थागत) सिफारिश | २०० | |
| १३ | नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिश (साविकको बाटोमा) | ५०० | |
| १४ | नक्सापास नामसारी सिफारिस | ५०० | |
| १५ | पक्की घर निर्माणको लागि काठपात ल्याउने सिफारिस | १००० | |
| १६ | कच्ची घर बनाउनको लागि काठपात ल्याउने सिफारिस | ५०० | |
| १७ | संस्था दर्ता सिफारिश | ५०० | |
| १८ | सहकारी संस्था दर्ता सिफारिस | १००० | |
| १९ | विद्यालय/शिक्षा सम्बन्धि | | |
| | विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति | १०००० | |
| | व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिम केन्द्र सञ्चालन | १०००० | |
| | कक्षा वृद्धि सिफारिस निजी | ३००० | |
| | कोचिङ/ट्युसन कक्षा सञ्चालन | २००० | |
| | विद्यालय ठाउँसारी | १००० | |
| २० | दलित जनजाती सिफारिश | १०० | |

| | | | |
|----|---|----------|--|
| २१ | निशुल्क स्वास्थ्य उपचार/ अपाङ्ग सिफारिश | निशुल्क | |
| २२ | जिवित रहेको सिफारिश | २०० | |
| २३ | चारित्रिक सिफारिश/छात्रवृत्ति सिफारिश | २०० | |
| २४ | जग्गा धनिदर्ता प्रमाण-पूर्जाको प्रतिलिपि सिफारिश/पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिश | २०० | |
| २५ | घर/कोठा खोल्ने | ५०० | |
| २६ | उजुरी मिलापत्र लिखित जवाफ दायरी | ५० | |
| २७ | रुख कटान प्रतिगोटा | ५० | |
| २८ | जन्म मिति, विवाह, घरपाताल, कागज मञ्जुरीनामा, हकवालाका हकदार, अविवाहित, प्रमाणित | २०० | |
| २९ | जग्गा सम्बन्धि सिफारिस | | |
| | घरबाटो प्रमाणित प्रतिकित्ता | | |
| | लामुसाँघु जिरी सडकसँग जोडिएका जग्गा (अंसबन्डा/बेचविखन भएमा | ५००/१००० | |
| | कच्ची ग्रावेल जिल्ला सडकसँग जोडिएका जग्गा अंसबन्डा/बेचविखन भएमा | ४००/५०० | |
| | ग्रामिण सडकसँग जोडिएका जग्गा तथा अन्य जग्गाहरु | २००/३०० | |
| | चार किल्ला प्रमाणित | | |
| | क) वित्तिय कारोबार प्रति कित्ता | ५०० | |
| | ख) अन्य प्रयोजनको लागि | ३०० | |
| | जग्गा नामसारी सिफारिस | ५०० | |
| | छुट्टै जग्गा नामसारी / दर्ता सिफारिश | ५०० | |
| | सर्जमिन सहित जग्गा नामसारी / दर्ता सिफारिश | १००० | |
| | जग्गा धनि प्रतिलिपि सिफारिस | ५०० | |

| | | | |
|----|--|---------------------|--|
| | जगगाधनी प्रमाण पुर्जामा फोटो टाँस सिफारिस | ५०० | |
| | हकबन्दी फुकुवा | २००० | |
| ३० | स्थलगत सर्जमिन सबै | ५०० | |
| ३१ | फरक-फरक नाम थर | ५०० | |
| ३२ | हकदार सिफारिस | ५०० | |
| ३३ | तिन पुस्ते सिफारिस | ५०० | |
| ३४ | नाता प्रमाणित | ५०० | |
| ३५ | कृषि फर्म दर्ता | ५०० | |
| ३६ | खानेपानी मुहान दर्ता सिफारिस | १००० | |
| ३७ | खानेपानी/सिंचाई नविकरण | ५०० | |
| ३८ | योजना तथा आयोजनाहरु दातृ नियकायहरुसँग माग सिफारिस | १००० | |
| ३९ | लघु जलविद्युत आयोजना १ मेघावट भन्दा कमको सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस | ५००० | |
| ४० | लघु जलविद्युत आयोजना १ मेघावट भन्दा माथि १० मेघावट सम्मको सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस | १०,००० | |
| ४१ | जलविद्युत आयोजना १० मेघावट भन्दा माथि सर्वेक्षण अनुमति सिफारिस | ५०,००० | |
| ४२ | टेण्डर फाराम/ दरभाउ पत्र विक्री | सूचनामा तोके अनुसार | |
| ४३ | अन्य सिफारिस शुल्क | १५० | |

७. फोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क (मासिक) निम्नानुसार लगाईने छ :

| क्र.स. | विवरण | सेवा शुल्क दर रु | कैफियत |
|--------|----------------------------|------------------|--------|
| १ | आवासीय घर पक्की | | |
| | १००० स्क्वायरफिट सम्म | ५० | |
| | १००१ देखि २००० स्क्वायरफिट | १०० | |
| | २००१ देखि ३००० स्क्वायरफिट | १५० | |
| | ३००१ भन्दा माथि | २०० | |

| | | | |
|----|---|------|--|
| | कच्चीघर २ तलासम्म | ५० | |
| २ | व्यवसायिक घर | २०० | |
| ३ | पसल भए प्रति पसल थप | १०० | |
| ४ | सामान्य प्रकृतिका होटल, रेष्टुरेन्ट थप | १०० | |
| ५ | ठुला प्रकृतिका होटल लज | ३०० | |
| ६ | हस्पिटल | १५०० | |
| ७ | अन्य संघ संस्था | ५०० | |
| ८ | निजी विद्यालय | १००० | |
| ९ | मेला, महोत्सव लगायतका कार्यक्रम (एक पटकको) | २००० | |
| १० | उद्योगहरु तथा बधशाला | ३०० | |
| ११ | निर्माणाधिन भवन (एकमुष्ठ) | ५०० | |
| १२ | बसपार्कमा पार्किङ्ग गर्ने सार्वजनिक बस तथा माइक्रोबसलाई (दैनिक) | १० | |

नोट मापदण्ड प्रारम्भ हुनु अघि बनेका नक्सापास नभएका घरहरुको हकमा समेत माथि उल्लेख भए बमोजिम सेवाशुल्क लाग्नेछ ।

ज) अन्यको हकमा तथा सेवा शुल्क निर्धारणमा कठिनाई उत्पन्न भएमा व्यवसायको प्रकृति हेरी नगरकार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची १२

(ऐनको दफा १३ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित)

विक्री शुल्क दस्तुरको दर

| क्र. सं. | विक्री हुने वस्तु | शुल्क दस्तुर (रकम रु) | कैफियत |
|----------|--|-----------------------|--------|
| १. | प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुहरुको विक्री प्रति घनफीट : | | |
| | क) ढुंगा | २ | |
| | ख) गिट्टी | २ | |
| | ग) बालुवा | २ | |
| | घ) माटो | ५० पैसा | |
| | ङ) काठ | | |
| | १) चिरान | ३.५० | |
| | २) गोलिया | ३ | |

अनुसूची १३

(ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित)

१. नक्सापास दस्तुर

(क) आवसिय भवन

| सि.नं. | भवनको प्रकार | बेसमेन्ट तला | | भूईँ तल्ला (प्रति वर्ग फिट) रु. | | पहिलो तल्ला (प्रति वर्ग फिट) रु. | | दोश्रो तला (प्रति वर्ग फिट) रु. | | तेस्रो तला र सो भन्दा माथि (प्रति वर्ग फिट) रु. | |
|--------|---|--------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---|---------|
| | | ०७४/०७५ | ०७५/०७६ | ०७४/०७५ | ०७५/०७६ | ०७४/०७५ | ०७५/०७६ | ०७४/०७५ | ०७५/०७६ | ०७४/०७५ | ०७५/०७६ |
| १. | आर.सि.सि. पिल्लर भएको । | ४१- | ४१- | ५१- | ५१- | ६१- | ६१- | ७१- | ७१- | ८१- | ८१- |
| २. | दुङ्गा वा इँट्टा वा ब्लकमा सिमेन्ट बालुवाको गारो - आर. सि. सि. को छाना भएको । | - | - | ४१- | ४१- | ५१- | ५१- | ६१- | ६१- | - | - |
| ३. | सिमेन्टको जोडाइमा दुङ्गा वा इँट्टा वा ब्लकको गारो - जस्ता वा टाएलको छाना भएको । | - | - | ३१- | ३१- | ४१- | ४१- | - | - | - | - |
| ४. | पटाहाको घेरावेरा लगाएतका कच्ची भवन । | - | - | ११- | ११- | ११- | ११- | - | - | - | - |

(ख) व्यापारिक भवन

| सि.नं. | भवनको प्रकार | बेसमेन्ट तला | | भूईँ तल्ला (प्रति वर्ग फिट) रु. | | पहिलो तल्ला (प्रति वर्ग फिट) रु. | | दोश्रो तला (प्रति वर्ग फिट) रु. | | तेस्रो तला र सो भन्दा माथि (प्रति वर्ग फिट)रु. | |
|--------|---|--------------|---------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------|---------|--|---------|
| | | ०७४/०७५ | ०७५/०७६ | ०७४/०७५ | ०७५/०७६ | ०७४/०७५ | ०७५/०७६ | ०७४/०७५ | ०७५/०७६ | ०७४/०७५ | ०७५/०७६ |
| १. | आर.सि.सि. पिल्लर भएको । | ६१- | ६१- | ७- | ७- | ८१- | ८१- | ९१- | ९१- | १०१- | १०१- |
| २. | ढुङ्गा वा इँटा वा ब्लकमा सिमेन्ट बालुवाको गारो - आर. सि. सि. को छाना भएको । | - | - | ६१- | ६१- | ७१- | ७१- | ८१- | ८१- | - | - |
| ४. | सिमेन्टको जोडाइमा ढुङ्गा वा इँटा वा ब्लकको गारो - जस्ता वा टाएलको छाना भएको । | - | - | ४१- | ४१- | ५१- | ५१- | - | - | - | - |

(ग) कम्पाउण्ड वाल निर्माण

| सि.नं. | कम्पाउण्डवालको प्रकार | लाग्ने दस्तुरको दर | कैफियत |
|--------|------------------------------|--------------------|--------|
| १. | सिमेन्ट जोडाईको कम्पाउण्डवाल | २१- | |
| २. | माटो जोडाईको कम्पाउण्डवाल | ११- | |
| ३. | तारवारको कम्पाउण्डवाल | -१५० | |

नोट : मिति २०७४/०४/०१ भन्दा अगावै निर्माण सम्पन्न भएका घर तथा भवनहरूको अभिलेखिकरण गर्दा उक्त भवनको नक्सा पास दस्तुरमा लाग्ने दस्तुरको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकम लाग्नेछ ।

(घ) दण्ड जरिवाना

नक्सा पास विना भवन निर्माण गरेमा निम्न उपर दण्ड जरिवाना लाग्ने छ, तर मापदण्ड विपरित बनेको/ बन्ने घरहरुको हकमा नक्सा पास हुने छैन ।

| सि. नं. | विवरण | लाग्ने जरिवानाको दर | कैफियत |
|---------|-----------------------------|------------------------|--------|
| १ | जगको कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको २५% | |
| २ | डि.पि.सि.को कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको ३५% | |
| ३ | गाह्रो लगाउने कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको ३५% | |
| ४ | ढलको कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको ७५% | |
| ५ | निर्माण कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको १००% | |

नोट :- उल्लेखित जरिवाना निर्माण भएको तल्लाको आधारमा लिइनेछ ।

(ङ) भवन तला थपमा

| सि. नं. | विवरण | ०७५/०७६ मा | कैफियत |
|---------|-----------------------------|------------------------|--------|
| १. | गाह्रो लगाउने कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको ५०% | |
| २. | ढलको कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको ७५% | |
| ३. | ढलको कार्य सम्पन्न | नक्सापास दस्तुरको १००% | |

नोट :- उल्लेखित जरिवाना निर्माण भएको तल्लाको आधारमा लिइनेछ ।